संस्कृत शिक्षा विभाग,राजस्थान के अधीन संचालित संस्कृत महाविद्यालय के छात्र संघ की संगठनात्मक संरचना हेतु ।

छात्र संघ संविधान

धारा - 1. नाम :-

इस संगठन का नाम छात्र संघ (महाविद्यालय का नाम) होगा तथा वह महाविद्यालयीय प्रशासन के निर्देशानुसार कार्यो/दायित्वों का निर्वहन करेगा ।

धारा - 2 कार्य क्षेत्रः-

छात्र संघ का कार्य क्षेत्र महाविद्यालय (जिससे वह सम्बद्ध है) तक सीमित रहेगा । छात्र संघ का अध्यक्ष विश्वविद्यालय के समय-समय पर संशोधित नियमों, निर्देशों के तहत विश्वविद्यालयों की ईकाईयों के निर्वाचन में भाग ले सकेगा ।

धारा - 3. उद्धेश्य :-

(क) अपने सदस्यों को जनतान्त्रिक प्रशिक्षण देना ।
(ख) अपने सदस्यों में सामूहिक प्रगतिशील जीवन, अनुशासन, देशभक्ति एवं सार्वजनिक सेवा भावना का विकास करना ।
(ग) अपने सदस्यों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास तथा महाविद्यालयों के विकास के साथ-साथ अध्ययनशीलता की प्रेरणा देना ।
(घ) अपने सदस्यों को भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत वाड्मय के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार हेतु वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन वाद-विवाद भाषण माला जैसी साहित्यिक तथा रंगमचीय जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की प्रेरणा देना ।

धारा - 4. संरक्षकः-

(क) महाविद्यालय के प्राचार्य पदेन छात्र संध के संरक्षक होगें ।
(ख) 1. किसी भी विषय के संबंध में जिनके बारे में या तो कोई नियम हो ही नहीं अथवा अस्पष्ट हो तो आचार्य का निर्णय अन्तिम होगा ।

2. संविधान की विभिन्न धाराओं एवं उपधाराओं के स्पष्टीकरण के संबंध में भी प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा ।

(ग) छात्र संध संबंधी समस्त विषयों एवं संविधान के अन्तर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किये गये निर्णय को किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

संस्कृत शिक्षा विभाग,राजस्थान के अधीन संचालित संस्कृत महाविद्यालय के छात्र संघ की संगठनात्मक संरचना हेतु ।

छात्र संघ संविधान

धारा - 1. नाम :-

इस संगठन का नाम छात्र संघ (महाविद्यालय का नाम) होगा तथा वह महाविद्यालयीय प्रशासन के निर्देशानुसार कार्यो/दायित्वों का निर्वहन करेगा ।

धारा - 2 कार्य क्षेत्रः-

छात्र संघ का कार्य क्षेत्र महाविद्यालय (जिससे वह सम्बद्ध है) तक सीमित रहेगा । छात्र संघ का अध्यक्ष विश्वविद्यालय के समय-समय पर संशोधित नियमों, निर्देशों के तहत विश्वविद्यालयों की ईकाईयों के निर्वाचन में भाग ले सकेगा ।

धारा - 3. उद्धेश्य :-

(क) अपने सदस्यों को जनतान्त्रिक प्रशिक्षण देना ।
(ख) अपने सदस्यों में सामूहिक प्रगतिशील जीवन, अनुशासन, देशभक्ति एवं सार्वजनिक सेवा भावना का विकास करना ।
(ग) अपने सदस्यों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास तथा महाविद्यालयों के विकास के साथ-साथ अध्ययनशीलता की प्रेरणा देना ।
(घ) अपने सदस्यों को भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत वाड्मय के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार हेतु वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन वाद-विवाद भाषण माला जैसी साहित्यिक तथा रंगमचीय जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की प्रेरणा देना ।

धारा - 4. संरक्षकः-

(क) महाविद्यालय के प्राचार्य पदेन छात्र संघ के संरक्षक होगें ।
(ख) 1. किसी भी विषय के संबंध में जिनके बारे में या तो कोई नियम हो ही नहीं अथवा अस्पष्ट हो तो आचार्य का निर्णय अन्तिम होगा ।

2. संविधान की विभिन्न धाराओं एवं उपधाराओं के स्पष्टीकरण के संबंध में भी प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा ।

(ग) छात्र संघ संबंधी समस्त विषयों एवं संविधान के अन्तर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किये गये निर्णय को किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

धारा – 5. परामर्शदाता :–

महाविद्यालय के प्राचार्य ''छात्र संघ'' के मार्गदर्शन हेतु एक परामर्शदातृ मण्डल का गठन करेगें, जिसमें एक मुख्य परामर्शदाता एवं एक या दो सह–परामर्शदाता होगें ।

धारा – 6. प्रशासकीय समिति :–

छात्र संघ के समय समय पर निर्देश मार्गदर्शन हेतु एक प्रशासकीय समिति होगी जो अधोलिखित रूपेण संगठित होगी –

(1) संरक्षक – महाविद्यालयीय प्राचार्य
(2) मुख्य परामर्शदाता
(3) सह–परामर्शदाता

धारा – 7. सदस्यता एवं संरचना :–

(1) (क) महाविद्यालय के समस्त नियमित रूप से (स्थायी/अस्थायी) प्रविष्ट छात्र/छात्रायें छात्रसंघ के सदस्य होगें ।

(ख) उक्त ''क'' बिन्दु में वर्णित छात्रसंघ के समस्त सदस्यों से महाविद्यालयीय प्रवेश के समय ही छात्रसंघ सदस्यता शुल्क के रूप में 30/– (तीस रूपये) प्रति छात्र प्राप्त किये जावे ।

(ग) छात्र संघ सरंचना के अन्तर्गत परामर्शदातृ मण्डल कार्य समिति एवं प्रतिनिधि सभा की संरचना की जावेगी ।

(2) प्रतिनिधि सभा :–

(क) महाविद्यालय की प्रत्येक कक्षा/वर्ग (सैक्शन) से चुनकर आए कक्षा प्रतिनिधि इस प्रतिनिधि सभा के सदस्य होगें । महाविद्यालय की प्रत्येक कक्षा/वर्ग (सैक्शन) के 60 छात्रों की संख्या तक एक कक्षा प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जायेगा । यदि किसी कक्षा/वर्ग (सैक्शन) में शेष छात्रों की संख्या 20 या 20 से अधिक होगी, तो एक प्रतिनिधि और चुना जा सकेगा ।

(ख) प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय की शास्त्री प्रथम वर्ष/आचार्य पूर्वार्द्ध की कक्षा में प्रविष्ट छात्र जो बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की पिछली परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता छात्र हो दो सदस्यों का तथा छात्र द्वारा अर्जित जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय/विभाग स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर वरीयता प्राप्त एक छात्र का मनोनयन किया जावेगा । उक्त प्रकार से शास्त्री महाविद्यालय स्तर पर दो एवं आचार्य महाविद्यालय स्तर पर तीन मनोनीत छात्र इस प्रतिनिधि सभा के सदस्य होगें ।

(ग) आगामी धारा 7(iii) के अन्तर्गत कार्यसमिति के निर्वाचित पदाधिकारी/प्राचार्य द्वारा मनोनीत पदाधिकारी भी इस प्रतिनिधि सभा के पदेन सदस्य होगें ।

(3) कार्य समितिः-

(क) कार्य समिति में निम्नांकित पद सीधे निर्वाचन के होगें-

(अ) अध्यक्ष	-	एक पद
(ब) उपाध्यक्ष	-	एक पद
(स) महासचिव	-	एक पद
(द) संयुक्त सचिव	-	एक पद

(ख) कार्य समिति में निम्नांकित दो पद मनोनयन के होगें -

(1) क्रीड़ा सचिव

(2) साहित्यिक व सांस्कृतिक सचिव

(कार्य समिति के लिये बिन्दु ''ख'' में उक्त सदस्यों का प्राचार्य द्वारा छात्रसंघ अध्यक्ष मुख्य परामर्शदाता एवं शारीरिक अनुदेशक के साथ विचार-विमर्श कर मनोनयन किया जा सकेगा ।

धारा - 8. निर्वाचन मण्डल :-

(क) चुनाव संबंधी समस्त कार्य सम्पन्न कराने हेतु प्राचार्य द्वारा प्रत्येक सत्र के लिये महाविद्यालय के शिक्षकों में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा आवश्यकतानुसार एक अथवा दो सह-निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी ।

(ख) छात्र संघ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव संबंधी समस्त प्रक्रिया छात्रसंघ संविधान के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित करेगें तथा चुनाव संबंधी अधिघांषणा अवधि का प्रसारण सूचना पट्ट के माध्यम से निम्न कार्यक्रमानुसार जारी करेगें -

(i) निर्वाचन की तिथि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि ही मान्य होगी ।

(ii) चुनाव अधिघोषणा निर्वाचन तिथि से 10 दिन पूर्व होगी ।

(iii) मतदाता सूची का प्रकाशन भी अधिघोषणा के दिन ही किया जावेगा ।

(iv) यदि मतदाता सूची में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज होती है तो संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन मूल मतदाता सूची प्रकाशन की तिथि से तीसरे दिन किया जावेगा इसमें पूर्व मतदाता सूची प्रकाशन का दिन भी समाहित होगा ।

(v) अधिघोषणा जारी होने के चतुर्थ दिन कक्षा प्रतिनिधियों के नामांकन पत्र भरने की अन्तिम तिथि रहेगी ।

कक्षा प्रतिनिधियों की नाम वापस लेने की तथा वैद्य प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन अधिघोषणा के पंचम दिन किया जायेगा । कक्षा प्रतिनिधियों का निर्वाचन यदि आवश्यक हो तो अधिघोषणा जारी होने से 8वें दिन कराया जावेगा तथा विजयी प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन भी उसी दिन किया जायेगा ।

(vi) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/महासचिव/संयुक्त सचिव के निर्वाचन हेतु -

क. (1) नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि अधिघोषणा जारी होने के पांचवे दिन ।

(2) नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि अधिघोषणा जारी होने के सातवें दिन ।

(3) वैध प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन अधिघोषणा जारी होने के सातवें दिन ।

ख. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / महासचिव / संयुक्त सचिव के मतदान के बाद मतगणना एवं विजयी प्रत्याशियों की घोषणा एवं अनौपचारिक शपथग्रहण चुनाव के दिन ही होगी ।

नोटः- यदि विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम का अन्य किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्वाचन नियत तिथि पर संभव न हो तो निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा संशोधित/परिवर्तित चुनाव तिथि घोषित की जावेगी । उक्त चुनाव कार्यक्रम में समय की निर्धारणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेगें ।

धारा - 9. चुनाव :-

(क) कक्षा प्रतिनिधियों एवं कार्य समिति के पदाधिकारियों का चुनाव एकल अहस्तान्तरित गुप्त मतदान प्रणाली (सिंगल नॉन ट्रान्सफरेवल बोट वाई बैलेट) द्वारा सम्पन्न होगा । सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले छात्र विजयी घोषित किये जावेगें ।

(ख) उपर्युक्त धारा (।।) एवं (।।।) में वर्णित कक्षा प्रतिनिधियों तथा कार्य समिति के पदाधिकारियों का चुनाव दो चरणों में होगा । प्रथम चरण में कक्षा प्रतिनिधियों तथा द्वितीय चरण में कार्यसमिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन होगा ।

(ग) किसी पद के लिये एक ही उम्मीदवार का आवेदन पत्र प्राप्त हो तो उसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जावेगा ।

(घ) एक पद के लिये दो उम्मीदवारों द्वारा समान (बराबर) संख्या में मत प्राप्त किये जाने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्राचार्य की सहमति प्राप्त कर लॉटरी प्रणाली से विजयी उम्मीदवार का निर्णय करेगें ।

(ड) निर्वाचन के तुरन्त बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजयी उम्मीदवारों की घोषणा करेगें तथा समस्त सूचना लिखित रूपेण प्राचार्य को देगें ।

(च) किसी भी प्रकार की विवादास्पद स्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय सर्वमान्य होगा ।

धारा - 10. योग्यता :-

(1) स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में अध्यक्ष पद के लिये स्नातकोत्तर (आचार्य) कक्षा का पूर्वार्द्ध अथवा उत्तरार्द्ध तथा शास्त्री अन्तिम वर्ष का छात्र भी उम्मीदवार हो सकेगा । बशर्ते कि उस छात्र ने अपनी गत सत्र की परीक्षा नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण की हो ।

(2) शास्त्री स्तर के महाविद्यालय में तृतीय वर्ष (स्नातक) का छात्र ही अध्यक्ष पद के लिये उम्मीदवार हो सकेगा । बशर्ते कि उम्मीदवार गत सत्र में उसी महाविद्यालय का नियमित छात्र रहा हो । किन्तु जिस महाविद्यालय मे तृतीय वर्ष की कक्षायें नहीं हो वहां द्वितीय वर्ष

का छात्र एवं जहां द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षायें नहीं हों वहां प्रथम वर्ष का छात्र भी अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हो सकेगा ।

(3) उपाध्यक्ष,महासचिव एवं संयुक्त सचिव पद के लिये कोई भी पात्र छात्र (स्नातक, स्नातकोत्तर कक्षा) उम्मीदवार हो सकेगा । बशर्ते कि उसने गत सत्र में इसी महाविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया हो ।

(4) एक छात्र एक समय में उपर्युक्त धारा संख्या 7(III) (क) में वर्णित पदों में से केवल एक ही पद के लिये उम्मीदवार हो सकेगा । यदि कोई छात्र एक से अधिक पदों के लिये अपना नामांकन पत्र दाखित करता है तो उसके सभी पदों के लिये भरे गये नामांकन पत्र अवैध माने जावेगें, किन्तु नामांकन पत्रों की जांच होने से पूर्व यदि ऐसा उम्मीदवार केवल एक पद के लिये स्वयं के उम्मीदवार बने रहने की सूचना लिखित रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देवें तो उस पद से संबंधित उसके नामांकन पत्र को जांच के लिये स्वीकृत कर उसके शेष पदो के लिये प्राप्त नामांकन पत्र निरस्त कर दिये जावेगें ।

(ख) <u>निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों की अपात्रता :-</u>

निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले छात्र किसी भी पद के निर्वाचन के लिये उम्मीदवार (प्रत्याशी) नहीं हो सकेगें ।

(1) ऐसे छात्र जो गत शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण घोषित हुये हों ।
(2) उपस्थिति न्यूनता या अन्य किसी कारण से गत परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकने वाले छात्र ।
(3) ऐसे छात्र जिनको गम्भीर अनुशासनहीनता के लिये महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/न्यायालय से दण्डित किया गया हो ।
(4) ऐसे छात्र जिनकी पिछली परीक्षा रद्द करदी गई हो अथवा जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया हुआ हो ।
(5) ऐसे छात्र जो स्नातक या अधिस्नातक (शास्त्री, आचार्य) परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों तथा दूसरे विषय (अतिरिक्त) में प्रवेश लेकर अध्ययन कर रहे हों ।
(6) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान महाविद्यालय की सम्पत्ति / दीवारें आदि को हानि पहुंचाने वाले छात्र ।
(7) ऐसे छात्र जिनके गत परीक्षा से सम्बद्ध किसी भी विषय में बकाया प्रश्न पत्र रह गये हों ।
(8) ऐसे छात्र जो एक ही सत्र में महाविद्यालय की किसी कक्षा में नियमित अध्ययन के साथ-साथ किसी बोर्ड व विश्वविद्यालय की अन्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों ।
(9) गत परीक्षा में स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण छात्र ।

(ग) <u>निर्वाचन प्रकिया</u>

(1) निर्वाचन घोषणा निर्वाचन तिथि से 10 दिन पूर्व की जावेगी ।
(2) चुनाव प्रारम्भ होने के समय से 24 घन्टे पूर्व प्रचार करना निषिद्ध होगा ।
(3) निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले नामांकन पत्र अस्वीकृत होगें
(4) नामांकन हेतु आवेदन पत्र का शुल्क 25/- रूपये होगा ।

(5) नामांकन हेतु आवेदन पत्र के साथ ही प्रतिभूति राशि के रूप में 250/- जमा कराया जावेगा ।

(6) उक्त प्रतिभूति राशि चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी को नहीं लौटाई जावेगी ।

(7) संविधान की प्रति एवं मतदाता सूची कोई भी छात्र प्रत्येक से पृथक्-पृथक 25/- रूपये देकर प्राप्त कर सकेगें ।

(8) प्रत्येक मतपत्र पर प्राचार्य के हस्ताक्षर मय कोड सील अंकित होगी आवश्यक विना कोड सील लगे मत पत्र रद्द कर दिये जावेगें ।

(9) जो छात्र अनुशासन का उल्लंघन करेगा या चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगा या चुनाव प्रचार करते हुये वाह्य एवं अवांछनीय तत्वों से महाविद्यालय प्रांगण में अशान्ति फैलायेगा, ऐसे छात्र को मताधिकार एवं पदाधिकार से वंचित करने का प्राचार्य को अधिकार होगा ।

(10) नामांकन पत्र अपूर्ण/असत्य पर आधारित होने के कारण रद्द कर दिया जावेगा ।

(11) छात्र परिचय पत्र दिखाकर ही मताधिकार का प्रयोग कर सकेगें । इसके अभाव में वे वोट देने के अधिकार से वंचित रहेगें ।

(12) एक पद के लिये केवल एक ही उम्मीदवार के समक्ष मौहर लगावें । यदि इस से अधिक प्रत्याशी के समक्ष मौहर को चिन्हित किया गया तो वह मत रद्द समझा जावेगा ।

(13) जिस प्रत्याशी के समक्ष मौहर का स्पष्ट झुकान चिन्हित होगा वह मत पत्र उसी के पक्ष में गणना में आवेगा । ऐसी स्थिति में निर्णायक मण्डल व मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय ही प्रभावी रहेगा ।

(14) छात्रसंघ का कार्यकाल सत्रान्त तक ही प्रभावी रहेगा ।

(15) पूरक/बकाया प्रश्न पत्र (ड्यू पेपरस) वाले छात्र जिन्हों स्थायी/अस्थायी रूप से निष्कासित छात्र के रूप में महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है, वे केवल मताधिकार का उपयोग कर सकेगें ।

विशेष :- छात्र संघ सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त राशि प्रत्याशियों से प्राप्त अहस्तान्तरणीय प्रतिभूति राशि तथा संविधान व मतदाता सूची की बिक्री से प्राप्त राशि एवं नामांकन आवेदन पत्र शुल्क राशि उन सभी स्रोतों से प्राप्त राशि का उपयोग निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया में व्यय हेतु किया जावेगा उस व्यय से अवशिष्ट राशि छात्र कोष की निधि मानी जावेगी ।

धारा - 11. सदन की बैठकें व अध्यक्षता:-

(क) प्रतिनिधि सभा (सदन की बैठकों की अध्यक्षता छात्रसंघ के मुख्य सलाहकार तथा उनके अभाव में सह-परामर्शदाता करेगें ।

(ख) प्रतिनिधि सभा (सदन) की एक शिक्षा सत्र में कम से कम तीन बैठकें आयोजित की जावे । प्रथम बैठक छात्रसंघ की संरचना के बाद एक सप्ताह में, दूसरी बैठक दिसम्बर माह में शीतकालीन अवकाश से पूर्व तथा तीसरी बैठक फरवरी पूर्व आयोजित की जावे ।

(ग) कार्यसमिति की बैठकों की अध्यक्षता छात्रसंघ के अध्यक्ष तथा उसके अभाव में उपाध्यक्ष करेगें ।

(घ) कार्यसमिति की बैठकें अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी । कार्यसमिति की बैठकों में परामर्शदातृ-मण्डल को भी छात्र संघ अध्यक्ष अवश्य आमंत्रित करेंगे ।

धारा - 12. गणपूर्ति :-

प्रतिनिधि सभा (सदन) तथा कार्यसमिति की बैठकों में गणपूर्ति के लि[illegible] कुल सदस्य संख्या की 50% उपस्थिति आवश्यक होगी । गणपूर्ति के अभाव में बैठक [illegible] किसी भी प्रकार की कार्यवाही एवं बजट संबंधी प्रस्ताव मान्य नही होगें ।

धारा - 13. बजट व कार्यक्रम :-

(क) कार्यसमिति के समस्त अनुभागों की आवश्यकताओं तथा महाविद्यालय [illegible] को मध्येनजर रखते हुये छात्रसंघ अध्यक्ष बजट प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार [illegible] कार्य सामिति परामर्शदातृ-मण्डल के साथ विचार विमर्श के उपरान्त उनकी स[illegible] कार्यक्रम एवं बजट प्रस्ताव को अन्तिम रूप देगी ।

(ख) उक्त (क) के पश्चात बजट एवं कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा के स[illegible] एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जावेगें । इस कार्यक्रम व बजट में प्रति[illegible] को आवश्यकतानुसार संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा । यदि प्रति[illegible] दो बैठकों में भी कार्यक्रम व बजट प्रस्ताव किसी विवादास्पद स्थिति के का[illegible] में असमर्थता रहे तो कार्यक्रम व बजट प्रस्ताव प्राचार्य की अनुमति के लिये [illegible] जावे ।

(ग) कार्यक्रमों व बजट प्रस्ताव पर प्राचार्य की अनुमति आवश्यक होगी [illegible]/अ[illegible] बजट प्रस्ताव को प्राचार्य अस्वीकृत कर सकता है ।

(घ) बजट का स्त्रोत छात्रनिधि कोष (महाविद्यालय का किसी भी रूप [illegible] या राजकोष में जमा कराने योग्य राशि को छोड़कर) मद होगा ।

(ड) वर्तमान सत्र में छात्रनिधि (महाविद्यालय) राशि के रूप में प्राप्त राशि [illegible]% राशि ही छात्रसंघ व कार्यक्रमों के सन्दर्भ में पारित की जा सकेगी । अधि[illegible] हेतु निदेशक,संस्कृत शिक्षा से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

धारा - 14. अविश्वास प्रस्ताव :-

(क) किसी भी निर्वाचित या मनोनीत सदस्य का पदाधिकारी (परामर्शदातृ-म[illegible]) के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल सं[illegible] सदस्यों के हस्ताक्षरों द्वारा प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(ख) प्राचार्य प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव पर परामर्शदातृ-मण्डल की राय के अ[illegible] दि[illegible] के भीतर (10 कार्यकारी दिवस) प्रतिनिधि सभा की विशेष बैठक बुलायेगें ।

(ग) प्रतिनिधि सभा के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव [illegible] किया जा सकेगा ।

(घ) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने अथवा किसी अन्य विशेष कारण व [illegible] पद रिक्त होने पर पुनः निर्वाचन नहीं होगा । इस पद का कार्यभार प्रा[illegible] से छात्रसंघ के किसी भी सदस्य/पदाधिकारी को सौंपने के लिये सक्षम होगें ।

धारा – 15. सर्वाधिकार सुरक्षा :-

(1) प्राचार्य को विषम परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर छात्रसंघ को भंग करने का अधिकार होगा ।
(2) कार्यसमिति के किसी भी पदाधिकारी अथवा प्रतिनिधि सभा के किसी भी सदस्य को उसके द्वारा कियी गये ऐसे कार्यो या आचरण के आधार पर जो नैतिक दृष्टि से उचित न हो, निलम्बित या निष्कासित करने का प्राचार्य को अधिकार होगा ।
(3) छात्रसंघ सम्बन्धी आवश्यक व्यय समस्त बजट पारित न हो पाने की स्थिति में प्राचार्य की अनुमति से किये जा सकेगें । इसके लिये छात्रसंघ अध्यक्ष मु[illegible]दात के माध्यम से प्रस्ताव करेगें ।

(4) छात्रसंघ संविधान के अन्तर्गत कालेज के प्राचार्य द्वारा किये गये निर्णय सर्वमान्य होगें ।
(5) छात्रसंघ कार्य समिति के सुचारू रूप से कार्य नहीं करने अथवा उनका कार्य महाविद्यालय की गरिमा व प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं पाये जाने पर प्राचार्य छात्रसंघ अध्यक्ष को लिखित रूप में उनकी त्रुटियों को निर्दिष्ट कर लिखित में ही उनके [illegible] समाधान प्रस्तुत करने का आदेश देगें । तदनुसार भी यदि स्थिति में उचित सुधार नहीं हो सके तो प्राचार्य को यह विशेषाधिकार होगा कि वे छात्रसंध को भंग कर दें ।
(6) छात्रसंघ के भंग होने के उपरान्त किसी भी स्थिति में उस सत्र में दोबारा चुनाव नहीं कराये जावेगें । ऐसी स्थिति में प्राचार्य के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगें ।
(7) अवांछित एवं अनुचित बजट प्रस्ताव को अस्वीकृत करना प्राचार्य के अधिकार क्षेत्र में होगा ।

धारा – 16. संविधान संशोधन :-

निदेशक,संस्कृत शिक्षा,राजस्थान द्वारा गठित समिति ही छात्रसंघ संविधान में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्धन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत होगी, जिसमें अधोलिखित सदस्य होगें :-

(1) प्राचार्य आचार्य महाविद्यालय	–	एक
(2) प्रोफेसर आचार्य महाविद्यालय	–	दो
(3) प्राचार्य शास्त्री महाविद्यालय	–	दो
(4) सहायक निदेशक (शैक्षणिक) निदेशालय	–	एक

उक्त समिति द्वारा छात्रसंघ संविधान के लिये प्रस्तावित संशोधन/परिवर्धन को निदेशक, संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,जयपुर अभिस्वीकृत कर जारी कर सकेगें

निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,राजस्थान,
जयपुर